राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना- 2010
(कक्षा-8 में अध्ययनरत अभ्यर्थियों के लिए)

फोटोग्राफ संस्थाध्यक्ष / राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो

नोट : इस परीक्षा में वे ही छात्र/छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2008–09 में कक्षा सात की परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं-

- वर्तमान सत्र में राजकीय/स्थानीय निकाय अथवा अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा आठ में पढ़ रहे हों। सामान्य वर्ग के वे अभ्यर्थी जिन्होंने न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वे अभ्यर्थी जिन्होंने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से कक्षा सात की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रू. 1,50,000/– (डेढ़ लाख) से अधिक न हो।
- परीक्षा का आयोजन जनपद के पूर्व निर्धारित केन्द्रों पर होगा।
- **परीक्षा तिथि 8 नवम्बर 2009**
- आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि : 25 सितम्बर 2009
- फार्म अपने अध्ययनरत जनपद के पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर ही जमा करेंगे।

कक्षा 8 कोड	राज्य कोड	वर्ष	केन्द्र कोड	क्र.सं. कार्यालय हेतु	कक्षा	जन्मतिथि
3	3 1	1 0			8	तारीख माह वर्ष

आवेदन पत्र अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में साफ-साफ भरे जायेंगे।

1. अभ्यर्थी का नाम (कुमारी/श्रीमान आदि न लिखें)

2. पिता का नाम (श्री/डाक्टर/प्रोफेसर आदि न लिखें)

3. लिंग — 1 2 — पु/म.

4. अभ्यर्थी का निवास — 1 2 — ग्रामीण/शहरी

5. जाति आरक्षण कोड — 1 2 3 4 — सामा./अनु जा./अनु.जजा./पिजा.

6. शारीरिक रूप से चुनौती ग्रस्त — 5 6 7 — दृष्टिबाधित/श्रवण बाधित/चलन क्रिया

7. स्व0सं0से0आ0 — 8

8. पत्र व्यवहार का पता (अपना अथवा पिता का नाम न लिखें)

पिन कोड

9. संस्था का नाम जहां अभ्यर्थी कक्षा आठ में अध्ययनरत हो

पिन कोड

10. संस्था का प्रकार जहां अभ्यर्थी कक्षा आठ में पढ़ रहा हो

1 राजकीय 2 स्थानीय निकाय 3 अशासकीय सहायता प्राप्त

11. विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित हो

1 ग्रामीण 2 शहरी

12. माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय...(तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

13. टेलीफोन/मोबाइल

4. **घोषणा** (1) मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैंने परीक्षा में सम्मिलित होने से सम्बन्धित पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ी है। ये मुझे मान्य हैं और मैं शर्तें पूरी करता/करती हूं। (2) मैं यह भी घोषणा करता हूं/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही हैं और मैंने इन सूचनाओं में कोई तथ्य छिपाया नहीं है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये।

दिनांक –
स्थान–

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

2

संस्थाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

1. श्री/कुमारी...इस संस्था के संस्थागत छात्र/छात्रा हैं इन्होंने कक्षा 7 की परीक्षा......................... ____ प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की है और कक्षा–8 में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययनरत हैं।
2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचनायें सही पायी गयी हैं।
3. उक्त छात्र/छात्रा संस्था के अभिलेखानुसार सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के अन्तर्गत हैं।

नोट-

1. कक्षा–7 (सात) का अंक पत्र सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
2. शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र विशेषज्ञों की समिति जिसमें से एक संबंधित रोग का विशेषज्ञ हो। द्वारा निर्गत होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र जिले के सी0एम0ओ0 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत से कम होने पर सम्बन्धित को लाभ देय नहीं होगा।
3. आवेदन पत्र के साथ तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाणपत्र जाति/आरक्षण प्रमाण पर ही मान्य होगा।

दिनांक : ....

संस्था प्रधान का हस्ताक्षर
मुहर सहित

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.......................................

कोड योजना

आवेदन पत्र भरने के पूर्व निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

1. केवल काली या नीली बाल प्वाइन्ट कलम का प्रयोग करें। बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) में लिखें। खानों के बाहर न कोई निशान बनायें न ही कुछ लिखें।
2. दो शब्दों के मध्य एक खाना छोड़े। दिये गये स्थान के अन्तर्गत अपना नाम तथा पता लिखें। कृपया नीचे दिये गये उदाहरण को देखें।
3. पद संख्या 3, 4, 5, 6 पर उपयुक्त खानों में से एक पर गुणे (**X**) का निशान लगाइये।
4. आवेदक और विद्यालय के प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व है कि अन्तिम तिथि तक परा भरा हुआ आवेदन पत्र प्रत्येक जनपद के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द, (अन्तिम पृष्ठ पर देखिये) पर ही जमा करें। अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र किसी भी शर्त पर जमा नहीं किये जायेंगे, चाहे उसमें आवेदक की गलती के कारण अथवा प्रधानाचार्य की गलती के कारण देरी हुई हो। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25 सितम्बर 2009 है।
5. अपूर्ण अथवा दोषपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

नाम एवं पता लिखने का उदाहरण–

पिता का नाम	O		P		T	I	W	A	R	I			

पत्र व्यवहार का पता : एक ही पंक्ति में पूरा पता लिखने का प्रयास न करें। आवश्यकतानुसार नीचे दिये गये उदाहरणानुसार लिखें–

2		L	O	W	T	H	E	R		R	O	A									
D		A	L	L	A	H	A	B	A	D			Pin	2	1	1	0	0	1		

राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना- 2010
(कक्षा-8 में अध्ययनरत अभ्यर्थियों के लिए)

जिले का नाम–

प्रवेश पत्र

फोटोग्राफ संस्थाध्यक्ष / राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो

अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा

श्री / कुमारी...

पुत्र / पुत्री श्री...

विद्यालय...

जिला / केन्द्र...

को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :...

....पिन कोड.....................

अभ्यर्थी को आवंटित 12 अंकों का अनुक्रमांक

कक्षा 8 का कोड	प्रदेश कोड	वर्ष	केन्द्र कोड	क्रमांक कार्यालय द्वारा भरा जायेगा
3	3 1	1 0		

परीक्षा केन्द्र का स्थान

....

....

केन्द्र व्यवस्थापक / संस्था प्रधान का हस्ताक्षर
कार्यालय की मुहर सहित

परीक्षा की तिथि 8 नवम्बर 2009 समय प्रातः 8.00 से 11.00 बजे तक
(शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए प्रातः 8.00 बजे से 12.00 बजे तक)

परीक्षा केन्द्र पर कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर

कक्ष निरीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

1. सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा........................

2. शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा..

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

1. इस परीक्षा में वे ही छात्र / छात्रायें सम्मिलित हो सकते हैं, जिन्होंने सत्र 2008–09 में कक्षा सात (7) की परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा वर्तमान सत्र में राजकीय / स्थानीय निकाय अथवा अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा आठ (8) में पढ़ रहे हों। सामान्य वर्ग के वे अभ्यर्थी जिन्होंने न्यूनतम 55% अंकों से तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के वे अभ्यर्थी जिन्होंने न्यूनतम 50% अंकों से कक्षा सात की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2. प्रवेश पत्र–आवेदन पत्र से किसी भी दशा में अलग न करें। प्रवेश पत्र अनुक्रमांक आवंटन के पश्चात मुख्य परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक के पास भेज दिया जायेगा। अभ्यर्थी परीक्षा तिथि से एक सप्ताह पूर्व / उसी दिन मुख्य केन्द्र व्यवस्थापक से प्राप्त कर सकते हैं।
3. परीक्षार्थी परीक्षा आरम्भ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होकर आवंटित अनुक्रमांक वाला स्थान अवश्य ग्रहण कर लें।
4. कैलकुलेटर, गणितीय टेबल अथवा अन्य किसी प्रकार का रेडीरेकनर परीक्षा कक्ष में लेकर न जायें।
5. परीक्षा एक सत्र में दो भागों में आयोजित होगी–
   (i) प्रथम भाग – सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण जिसमें 90 प्रश्न सम्मिलित होंगे।
   (ii) द्वितीय भाग –शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण– जिसमें 90 प्रश्न (35 विज्ञान से, 35 सामाजिक विज्ञान और 20 गणित के होंगे) सम्मिलित होंगे।
6. प्रथम भाग के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित है (शारीरिक रूप से चुनौती ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट का समय) तथा दूसरे भाग के लिए 90 मिनट (शारीरिक रूप से चुनौती ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट) का समय निर्धारित है।
7. प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है।
8. अपना अनुक्रमांक प्रवेश पत्र के अनुसार उत्तर पत्र पर लिखे जो स्थान इस हेतु निर्धारित हैं।
9. उत्तर पत्र अथवा प्रश्न पत्र पुस्तिका के किसी भी भाग पर अपना नाम न लिखें।
10. अपने उत्तर देने के लिये केवल बालपेन का प्रयोग करें। अपने उत्तर पत्र पर उत्तरों को निर्देशानुसार ही अंकित करें।
11. कक्षनिरीक्षक के द्वारा दिये गये निर्देशों का अवश्य पालन करें।
12. परीक्षा केन्द्र पर आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 25 ~~अगस्त~~ 2009 है। 25. 9. 9
13. अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जनपद के निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर ही जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, जाति / आरक्षण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (राजपत्रित अधिकारी द्वारा) ही मान्य होगी। कक्षा सात के परीक्षाफल के प्रमाणित प्रतिलिपि विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है।
14. परीक्षा की तिथि तथा समय
    8 नवम्बर 2009 – प्रातः 8.00 से 11.00 बजे तक
    (शारीरिक रूप से चुनौती ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिये 8.00 से 12.00 बजे तक)
15. राजस्तरीय अनुक्रमांक निम्नवत् भरा जायेगा–
    (i) पहला अंक परीक्षा कोड, 3 कक्षा 8 के लिए
    (ii) अगले 2 अंक प्रदेश कोड, (यू0पी0 का 31)
    (iii) अगले 2 अंक चयन वर्ग हेतु (10)
    (iv) अगले 4 अंक केन्द्र कोड (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)
    (v) अन्तिम 3 अंक क्रमांक नम्बर (001–500–999)
    (पंजीकरण के समय प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये जायेंगे – कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)
16. केन्द्र का कोड तथा क्रम संख्या जनपद के परीक्षा केन्द्र के इन्चार्ज द्वारा भरा जायेगा।
17. शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र तीन विशेषज्ञों की समिति (जिसमें से एक सम्बन्धित रोग का विशेषज्ञ हो) द्वारा निर्गत होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र जिले के सी0एम0ओ0 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। विकलांगता का प्रतिशत 40% से कम होने पर सम्बन्धित को लाभ देय नहीं होगा।

परीक्षा केन्द्रों की सूची तथा कोड संख्या

जिला	परीक्षा केन्द	कोड सं०
मेरठ	राज० इण्टर कालेज	प्रथम केन्द 0001
		द्वितीय केन्द 0002
		तृतीय केन्द 0003
बुलन्दशहर	राज० इण्टर कालेज	0004
गौतम बुद्ध नगर	राज० इण्टर कालेज नोएडा	प्रथम केन्द 0005
		द्वितीय केन्द 0006
गाजियाबाद	राज० बालिका इण्टर कालेज	प्रथम केन्द 0007
		द्वितीय केन्द 0008
बागपत	श्री यमुना इण्टर कालेज	0009
सहारनपुर	राज० इण्टर कालेज	0010
मुजफ्फर नगर	राज० इण्टर कालेज	0011
आगरा	राज० इण्टर कालेज	0012
मैनपुरी	राज० इण्टर कालेज	0013
एटा	राज० इण्टर कालेज	0014
मथुरा	राज० इण्टर कालेज	0015
अलीगढ़	राज० इण्टर कालेज	0016
महामायानगर	सरस्वती इण्टर कालेज हाथरस	0017
फिरोजाबाद	एस०आर०के०इ० कालेज	0018
बरेली	राज० इण्टर कालेज	0019
बदायूं	राज० इण्टर कालेज	0020
पीलीभीत	राज० इण्टर कालेज	0021
शाहजहाँपुर	राज० इण्टर कालेज	0022
इलाहाबाद	राज० इण्टर कालेज	प्रथम केन्द 0023
		द्वितीय केन्द 0024
		तृतीय केन्द 0025
कौशाम्बी	जि०शि०प्रशि०संस्थान, मंझनपुर	0026
फतेहपुर	राज० इण्टर कालेज	0027
प्रतापगढ़	राज० इण्टर कालेज	0028
वाराणसी	राज० इण्टर कालेज	प्रथम केन्द 0029
		द्वितीय केन्द 0030
		तृतीय केन्द 0031
चन्दौली	नगर पालिका इ०का० मुगलसराय	0032
गाजीपुर	राज० इण्टर कालेज	0033
जौनपुर	राज० बालिका इण्टर कालेज	0034
मिर्जापुर	राज० इण्टर कालेज	0035
सोनभद्र	राज० इण्टर कालेज, पिपरी	0036
संत रविदास नगर (भदोही)	राज० इण्टर कालेज, ज्ञानपुर	0037
लखनऊ	राज० जुबिली इण्टर कालेज	प्रथम केन्द 0038
		द्वितीय केन्द 0039
		तृतीय केन्द 0040
		चतुर्थ केन्द 0041
		पंचम केन्द 0042
		षष्टम केन्द 0043
उन्नाव	राज० इण्टर कालेज	0044
हरदोई	राज० इण्टर कालेज	0045
लखीमपुर खीरी	राज० इण्टर कालेज	0046
सीतापुर	राज० इण्टर कालेज	0047
रायबरेली	राज० इण्टर कालेज	0048
गोरखपुर	राज० जुबली इण्टर कालेज	0049
कुशीनगर	तुलसी दास इ०का० पडरौना	0050
देवरिया	राज० इण्टर कालेज	0051
महाराजगंज	महराजगंज इ०का०	0052
बस्ती	राज० इण्टर कालेज	0053
संत कबीर नगर	राज० बा०उ०मा०वि० खलीलाबाद	0054
सिद्धार्थनगर	तिलक इ०का० बाँसी	0055
आजमगढ़	राज० बालिका इण्टर कालेज	0056
बलिया	राज० इण्टर कालेज	0057
मऊ	डी०ए०वी०इ०का०	0058
झाँसी	राज० इण्टर कालेज	0059
हमीरपुर	राज० इण्टर कालेज	0060
जालौन (उरई)	राज० इण्टर कालेज	0061
ललितपुर	राज० इण्टर कालेज	0062
बाँदा	राज० इण्टर कालेज	0063
महोबा	राज० बालिका इण्टर कालेज	0064
चित्रकूट	राज० बालिका इण्टर कालेज	0065
फैजाबाद	राज० इण्टर कालेज	0066
अम्बेडकर नगर	राज० बालिका इ०का० अकबरपुर	0067
सुल्तानपुर	राज० इण्टर कालेज	0068
बाराबंकी	राज० इण्टर कालेज	0069
गोंडा	राज० इण्टर कालेज	0070
बलरामपुर	डी०ए०वी०इ०का०	0071
श्रावस्ती	अल्कशेन्द इ०का० भिनगा	0072
बहराइच	राज० इण्टर कालेज	0073
मुरादाबाद	राज० इण्टर कालेज	0074
रामपुर	राज० इण्टर कालेज	0075
बिजनौर	राज० बालिका इण्टर कालेज	0076
ज्योतिबा फूले नगर	राज० इण्टर कालेज अमरोहा	0077
कानपुर नगर	राज० इण्टर कालेज	प्रथम केन्द 0078
		द्वितीय केन्द 0079
		तृतीय केन्द 0080
		चतुर्थ केन्द 0081
		पंचम केन्द 0082
कानपुर देहात	राज० बालिका इ०का० पुखरायां	0083
फर्रुखाबाद	राज० इण्टर कालेज	0084
इटावा	राज० इण्टर कालेज	0085
कन्नौज	कान्ह कुंवर इ०का०	0086
औरैया	चौधरी विशम्भर सिंह भारतीय विद्यालय इ०का०	0087

नोट - जिन जनपदों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो ऐसे जनपदों के परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्य को यह अधिकार होगा कि वे जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर अन्य परीक्षा केन्द्र का निर्धारित कर सकते हैं।